प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (पीएमएवाई–यू 2.0)
बीएलसी के तहत लाभार्थी द्वारा सेल्फ अंडरटेकिंग

मैं ____ (लाभार्थी का पूरा नाम) सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी __________________________________ (माता–पिता/पति का नाम) जन्मतिथि ______________ वर्तमान में निवासी ____________________________________ (पता) ____(शहर/कस्बे का नाम _________________________ राज्य ________________________ (मोबाईल/सम्पर्क नंबर) __________________ (आधार नंबर) _________________ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं और निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँः–

1. कि मेरे नाम पर या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का आवास नहीं है।
2. कि मैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हूं और सभी स्त्रोतों से मेरी वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/– रु. **(केवल तीन लाख रूपये)** तक है।
3. कि मैं वैध दस्तावेजों के साथ _________________________________स्थित भूमि/संपत्ति का/की मालिक हूँ जहां आवास का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त भूमि, सभी कानूनी विवादों से मुक्त है और पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत् आवास के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
4. कि मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 20 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है।
5. कि मैं पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत अपने आवास के निर्माण के लिए निर्धारित समय अवधि, अर्थात् पहली किस्त प्राप्त होने की तिथि से बारह महीने के भीतर अपने हिस्से की राशि का योगदान करते हुए आवास निर्माण पूर्ण करने तैयार हूँ।
6. कि मैं पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत निर्मित आवास का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए करूंगा/करूंगी और किसी भी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।
7. कि मैं अपने आवास के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि तक पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत निर्मित आवास की बिक्री/हस्तांतरण नहीं करूंगा/करूंगी।
8. कि मैंने पीएमएवाई–यू 2.0 के किसी अन्य घटक के तहत आवेदन नहीं किया है/लाभ नहीं उठाया है।
9. कि मैं पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि पात्रता के संबंध में गैर–अनुपालन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से मैं न केवल योजना से अयोग्य घोषित किया जाऊंगा/जाऊँगी बल्कि पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत पहले से प्राप्त किसी भी लाभ की वसूली के साथ–साथ इसके कानूनी परिणाम भी होंगे। जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहुँगी।

हस्ताक्षर

नाम– ....

तिथि– ....

स्थान– ....